

The Hitavada, Raipur, Dated 21-01-2022

**Chhattisgarh State Power Distribution Company Ltd., Raipur
(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking)**

**ELECTRICITY TARIFF PETITION FOR FY 2022-23
NOTICE FOR INVITING OBJECTIONS AND SUGGESTIONS**

In compliance of the provisions contained in section 62 & 86 of Electricity Act, 2003 read together with Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations 2021, Chhattisgarh State Power Distribution Company Ltd. (CSPDCL) has filed tariff petition for FY 2022-23 which is registered as Petition No. 75 of 2021 by CSERC. The tariff petition comprise of final true-up for FY 2020-21; determination of MYT-ARR for FY 2022-23 to FY 2024-25; & projection of revenue at existing tariff and charges with revenue gap and determination of retail supply tariff for FY 2022-23, each of which is summarised in the tables given below :-

A. Summary of final true up of FY 2020-21

S.No.	Particulars	Amount (in cr.)
01.	ARR approved in MYT order dated 30.04.2016	14997.62
02.	Re-determined ARR in tariff order dtd. 30.05.2020	12486.90
03.	ARR based on audited accounts	16154.75
04.	Revenue from sale of power as per audited accounts	15222.26
05.	Stand alone deficit (3-4)	932.45
06.	Net revenue deficit due to impact of true up years in tariff order 30.05.2020 in respect of CSPDCL, CSPDCL, CSDL & CSPDCL (sub 8.2)	1441.23
07.	Additional revenue gap arising out of review petition towards final true up for FY 2018 -19 & FY 2019 -20 in respect of tariff order dtd. 02.08.2021	1228.47
08.	Closing deficit for FY 2020-21 (5+6-7)	3602.15
09.	Total closing deficit with carrying cost @ of 11.65%	3967.49
10.	Closing deficit carried forward with carrying cost to FY 2022-23	4388.23

B. Projections of ARR for each year of three year control period i.e. FY-2022-23, FY-2023-24 & FY-2024-25 is 14969.03 cr, 14780.51 cr & 14393.11 cr, respectively.

C. Summary of ARR for FY 2022-23(Stand-alone) and net deficit for FY 2022-23

S.No.	Particular	Amount (in Cr)
01.	ARR projection for FY 2022-23	14969.03
02.	Projected revenue at existing tariff and charges	13611.75
03.	Standalone revenue surplus for FY 2022-23 (2-1)	3642.72
04.	Closing deficit of FY 2020-21 carried forward with carrying cost (from table A)	4388.23
05.	Net deficit for the year 2022-23 (4 -3)	745.64

D. Retail tariff proposal for FY 2022-23:

(I) To meet the revenue gap CSPDCL has not submitted any retail tariff proposal but requested Commission for appropriate determination for FY 2022-23 to meet the approved net gap. (ii) To comply-with section 62(3) of Electricity Act 2003, a new sub-tariff LV-3(A) is proposed under existing LV-3 tariff category for billing of agriculture category consumers who have opted flat rate billing system under State Govt. Notification dtd. 29.09.2013.

Copies of the tariff petition in English and its summary in Hindi will be made available at following offices during office hours from date of publication of this notice;
i. Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission. ii. Executive Director (RA&PM) CSPDCL, Dangania Raipur. iii. CSPDCL's Regional / Circle Offices of O&M at Raipur city, Raipur rural, Bilaspur, Durg, Jagdalpur, Rajnandgaon, Ambikapur & Raigarh.

Interested persons can purchase tariff petition on any working day after making payment of Rs. 100/- for English and its summary in Hindi Rs. 50/- Copy of the petition/gist may be obtained by post on additional payment of Rs. 50/- towards postage fee.

The notice and petition along with subsequent submission by CSPDCL will also be available on the following:

- iv. Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission website www.cserc.gov.in v. CSPDCL website www.cspdcl.co.in

Persons intending to file objections/suggestions and views relating to this petition may file the same within 21 days from the publication of this Notice either in person or by post to:
i. Secretary, CSERC, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur Pin - 492001 Fax - 0771-4073553 ii. Executive Director (RA&PM), 4th Floor, Sewa Bhavan, CSPDCL, Raipur, Pin - 492013 Fax - 0771-2574442

Advance copies of objection/suggestion/views can also be mailed to;
iii. cserc_sec_cg@nic.in iv. cecomseb@rediffmail.com

The Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission shall notify the date of public hearing separately.

Executive Director (RA&PM)
SAVE ELECTRICITY hr/653179/21132 CSPDCL: Raipur

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)		
आम सूचना		
<p>विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 एवं 86 एवं उनको अन्वयित अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत निगमक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ विधानों के अनुसार टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रसारों से अनुमानित राजस्व के अन्वयित हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा विकास एवं शक्ति विनियम 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) ने वर्ष 2022-23 के विद्युत टैरिफ याचिका छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत निगमक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की है। विद्युत याचिका क्रमांक 75/2021 के रूप में परीक्षित किया गया है। इस टैरिफ याचिका में (i) वित्तीय वर्ष 2020-21 के विद्युत अतिरिक्त प्रसार, (ii) वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय वर्ष 2024-25 के विद्युत वार्षिक राजस्व आवरणकता एवं (iii) वित्तीय वर्ष 2022-23 के विद्युत प्रवर्धित विद्युत दूरी एवं प्रसारों के अर्थन राजस्व का आवकन एवं विद्युत की कुटकर्न दरों के निर्धारण का प्रस्ताव सम्मिलित है, जिसका सरलन नीचे तालिकाओं में दर्शाया गया है—</p>		
क. वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम दू-अप का सार		
क्र.सं.	विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
01.	बहुवर्षीय टैरिफ अंदाज दिनांक 30.04.2018 में अनुसूचित वार्षिक राजस्व आवरणकता	14907.62
02.	टैरिफ अंदाज 30.04.2020 के अंतिम त्रिवर्षीय वार्षिक राजस्व आवरणकता	12486.90
03.	अडिटेड अकाउंट के आधार पर वार्षिक राजस्व आवरणकता	16154.75
04.	अतिरिक्त लाभ के अनुसार राजस्व राशियाँ	1522.28
05.	वर्ष 2020-21 हेतु राजस्व कमी (3-4)	632.45
06.	टैरिफ अंदाज 30.6.2019 में CSPGCL, CSPCL, CSPDCL एवं CSLDC के दू-अप का सारक राजस्व अंतर (तालिका 8.2)	1441.23
07.	टैरिफ अंदाज दिनांक 02.08.2021 में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के अंतिम दू-अप के अन्वयित राजस्व पुनर्विचार आयोग के वार्षिक अंतिमक राजस्व अंतर	1228.47
08.	वर्ष 2020-21 हेतु Closing deficit (5+6+7)	3602.15
09.	1+108% की दर से वार्षिक अंदाज राशि	3967.49
10.	वित्तीय अंतर राशि - वर्ष 2022-23 के विद्युत Forward की गई कुल Closing deficit	4388.23
<p>ख. वि-वर्षीय बट्टीय वित्तीय FY 2022-23 से FY 2024-25 के प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अवधि तथा FY 2022-23, FY 2023-24 एवं FY 2024-25 के विद्युत क्रमांक: 14869.03 Cr., 14780.51 Cr. एवं 14398.11 Cr. के वार्षिक राजस्व आवरणकता का अनुमान है।</p>		
ग. वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक राजस्व आवरणकता का सार (अकेले वर्ष) एवं वर्ष 2022-23 के विद्युत सकार कमी		
क्र.सं.	विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
01.	वर्ष 2022-23 के विद्युत वार्षिक राजस्व आवरणकता का अनुमान	14869.03
02.	प्रवर्धित दूरी एवं प्रसारों के अनुसार पर अनुमानित राजस्व	18611.75
03.	अकेले वर्ष 2022-23 के विद्युत राजस्व अतिरिक्त (2 - 1)	3642.72
04.	वित्तीय अंतर राशि - वर्ष 2022-23 के विद्युत Forward की गई कुल Closing deficit	4388.23
05.	वर्ष 2022-23 के विद्युत सकार कमी (4-3)	745.64
<p>घ. वर्ष 2022-23 के विद्युत टैरिफ प्रस्ताव :-</p> <p>(i) उपरोक्त सकार कमी को प्राप्त करने याचिकाकर्ता ने किंग्डी भी प्रसार का टैरिफ प्रस्ताव आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है चरन् माननीय आयोग से वर्ष 2022-23 के विद्युत अनुमानित कमी की वसुली हेतु पुनर्विचार टैरिफ के निर्धारण का अनुरोध किया है। (ii) विद्युत अधिनियम की धारा 62(3) के अनुपालन में राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 20.02.2013 के अर्थन नोटिफिकेशन का विद्युत प्रसार करने वाले कृषि उद्योगों/कर्मियों की विद्युत से विद्युत वसुली-3 टैरिफ श्रेणी के अन्वयित मई एलसी-3 (A) Sub Tariff के सूजन का प्रस्ताव है।</p> <p>कमनी द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका (संशोधित) एवं नार संशोधित (सिन्डी) की प्रतियां (i) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत निगमक आयोग के कार्यालय एवं (ii) याचिकाकर्ता के कार्यालयक निदेशक (निका एवं ऊर्जा) कार्यालय, अनामिका, रायपुर शक्ति (iii) रायपुर शक्ति, रायपुर कर्मियों, विद्युत प्रसार, चण्डादादा, जगदलपुर, अम्बिकापुर एवं राजमठ के क्षेत्रीय एवं मूल कार्यालयों में उपलब्ध हैं जिन्हें रु. 100/- अर्जेंट प्रती तथा रु. 50/- हिन्दी प्रती के दृष्टान्त के साथ किंग्डी भी कार्यालयों विद्युत में प्राप्त किया जा सकता है। याचिका/प्रस्ताव की प्रती राजा भुवनेश्वर के साथ-साथ एक-व्यय के रूप में अतिरिक्त रु. 50/- के मुद्रान से भी प्राप्त कर सकते हैं।</p> <p>यह आम सूचना, याचिका की प्रति एवं अनुमति प्रस्तुत किये गये दरताओं की प्रति (i) आयोग की वेबसाइट www.cssec.gov.in एवं (ii) CSPDCL की वेबसाइट www.cspdcl.co.in पर भी उपलब्ध रहेगी।</p> <p>याचिकाकर्ता की उपरोक्त याचिका पर इच्छुक व्यक्ति अपने सुझाव/आपत्ति/दृष्टिकोण निम्नलिखित पते पर इस आम सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 21 दिनों की समयसीमा के भीतर व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा भेज सकते हैं।</p> <p>(i) सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत निगमक आयोग, विभागाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर, पिन-492001, फ़ोन-0771-4073553 ए/या (ii) कार्यपालक निदेशक (निका एवं ऊर्जा), CSPDCL, ङगनिया, रायपुर, पिन-492013, फ़ोन-0771-2574442 सुझाव/आपत्ति/दृष्टिकोण की अंतिम प्रति ई-मेल द्वारा निम्नलिखित ई-मेल आईडी पर भी भेजा जा सकता है।</p> <p>(i) cssec.sec.cop@nic.in (ii) cecomsec@rediffmail.com</p> <p>विद्युत निगमक आयोग उपरोक्त याचिका पर सुनवाई हेतु दिनांक एवं समय सूचक से प्रकाशित करेंगे। कार्यपालक निदेशक (निका एवं ऊर्जा)</p> <p>सहायक एवं राष्द्र हित में कर्जा बचाये। अस्टे-पॉलिस्ट्रीकोन, रायपुर</p>		